

Order Sheet [Contd]

Case No ..46/2011 विद्युत

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
01.08.2017	<p>परिवादी द्वारा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता। आरोपी सहित श्री जी0एस0 निगम अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में मध्यस्थत जज श्री पंकज शर्मा का प्रतिवेदन प्राप्त, जिसके अनुसार परिवादी प्रकरण में अपराध का समन करना चाहता है। परिवादी की ओर से एक आवेदनपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आरोपी ने समस्त क्षतिपूर्ति राशि एवं समन शुल्क जमा कर दिया है और वह अपराध को समन कर रहा है। अतः आरोपी को दोषमुक्त कर प्रकरण समाप्त किए जाने की प्रार्थना की है। विचारोपरांत आवेदन स्वीकार किया गया। आरोपी धर्मेन्द्र को विद्युत अधिनियम की धारा 138(1)(ख) के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद</p>	